वाणिज्य अ.ज.–806

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा) CIN – U40109RJ2000SGC016482
विद्युत भवन, माकडवाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर
दूरभाष – 0145–2644501, फेक्स – 0145–2644502

क्र./अ.वि.वि.नि.लि./मु.अ. (मुख्यालय)/अ.अ.–II/2020–21/प्रे 6067 दि: 16-04-2020

आदेश

विषयः– बिल माह अप्रैल एवं मई 2020 में जारी होने वाले विद्युत बिलों के संबंध में दिशा–निर्देश।

राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 02.04.2020 एवं माननीय राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी आदेश दिनांक 15.04.2020 की अनुपालना में प्रदेश में कोरोना माहमारी के कारण आये संकट एवं प्रभावी लॉकडाउन को देखते हुए विद्युत उपभोक्ताओं को निम्न राहत प्रदान की जाती है।

1. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के विद्युत कनेक्शन के मार्च एवं अप्रैल माह के उपभोग के बिल जो अप्रैल एवं मई में जारी होंगे, उनमें स्थाई शुल्क को लॉकडाउन अवधि के अनुपात में 31.05.2020 तक स्थगित (Deferred) किया जाता है।उक्त बिलों में लॉकडाउन की अवधि के अनुपात में स्थाई शुल्क स्थगित करने योग्य राशि बिलों में तो अंकित होगी परन्तु देय राशि के योग में शामिल नही होगी। जबकि शेष स्थाई शुल्क राशि बिल की देय राशि में शामिल होगी।

2. इसी प्रकार राजकीय प्रतिष्ठान एवं लॉक डाउन से मुक्त प्रतिष्ठानों को छोड़ कर अन्य सभी अघरेलू (यथा पर्यटन से संबंधित प्रतिष्ठान, शोरुम, दुकान, होटल, वर्किंग हॉस्टल आदि) कनेक्शनों के मार्च एवं अप्रैल माह के विद्युत बिलों के स्थाई शुल्क को लॉक डाउन अवधि के अनुपात में 31.05.2020 तक स्थगित किया जाता है।

3. किसानों को राहत प्रदान करने के लिए कृषि उपभोक्ताओं के मार्च में जारी बिल तथा अप्रैल एवं मई में जारी होने वाले बिलों का भुगतान भी 31.05.2020 तक स्थगित किया जाता है।

4. घरेलू श्रेणी के 150 यूनिट तक प्रति माह उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के अप्रैल एवं मई माह में जारी होने वाले बिलों का भुगतान भी 31.05.2020 तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।

Scanned by CamScanner

5. कृषि एवं घरेलू श्रेणी के सभी उपभोक्ताओं द्वारा 31.05.2020 तक बिलों का भुगतान करने पर उन्हें आगामी बिल में भुगतान की राशि की 5 प्रतिशत छूट दी जावेगी । इसी प्रकार अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं (कृषि एवं घरेलू श्रेणी के अतिरिक्त) द्वारा 31.05.2020 तक बिलों का भुगतान करने पर उन्हें आगामी बिल में भुगतान की राशि की एक प्रतिशत छूट दी जावेगी। यह छूट त्वरित भुगतान छूट के अतिरिक्त होगी जो कि निर्धारित तिथि से 7 दिवस पूर्व भुगतान करने पर बिलिंग राशि (विद्युत प्रभार एवं स्थाई प्रभार) का 0.15 प्रतिशत एवं 10 दिवस पूर्व भुगतान करने पर बिलिंग राशि का 0.35 प्रतिशत देय है।

6. उक्त अवधि के बिल सप्लाई कोड रेगुलेशन के प्रावधानों के अनुसार औसत आधार पर (स्मार्ट मीटर एवं AMR के अलावा) प्रोविजनली जारी किये जावेगें एवं इन बिलों का समायोजन मीटर रीडिंग उपलब्ध होने पर आगामी बिल में किया जावेगा।

7. दिनांक 22.03.2020 से 31.05.2020 तक की अवधि में उपभोक्ताओं द्वारा मीटर रीडिंग (फिगर एवं फोटो) निगम के कॉल सेण्टर अथवा संबंधित अधिकारी को वॉट्सएप द्वारा भेजे जाने पर उनके बिलों में एक प्रतिशत की छूट (अधिकतम 50 रुपये) दी जावेगी।

8. उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए दिनांक 22.03.2020 से 31.05.2020 तक की अवधि में जारी किये गये बिलों काभुगतान डिजिटल पेमेंटमोड से किये जाने परनिगम द्वारा सभी प्रकार के बैंकिग चार्जेज/प्रासेसिंग फीस वहन की जावेगी। रुपये 5000/–तक राशि का भुगतान डेबिट/क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर निगम द्वारा कोई ट्रैन्सैक्शन चार्जेज वसूल नही किये जावेगें। बिल की राशि रुपये 5000/–से अधिक होने पर केवल डेबिट/क्रेडिट कार्ड कंपनी/सेवा प्रदात्ता को भुगतान की गई वास्तविक राशि ही निगम द्वारा वसूल की जावेगी।

9. दिनांक 22.03.2020 से 31.05.2020 की अवधि के दौरान जारी किये गये विद्युत बिल, जिनका भुगतान स्थगित नही किया गया है, ऐसे विद्युत बिलों का भुगतान उपभोक्ता नियत तिथि अथवा उस के बाद भी आंशिक/पूर्ण रुप से कर सकता है। ऐसे मामलों में उपभोक्ता का विद्युत संबंध विच्छेद नही किया जावेगा।

10. बिलिंग माह अप्रैल एवं मई में जारी/जारी होने वाली Fortnightly billing को (लॉकडाउन से मुक्त प्रतिष्ठानों को छोड़कर) स्थगित किया जाता है।

सभी संबंधित अधिकारी उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगें।

आज्ञा से

(एन. एस. सहवाल)
अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
अविविनिलि, अजमेर

d./XEN-II/Comml. Order hindi

Scanned by CamScanner